भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-2374

उत्तर देने तारिख-18/12/2023

उत्तर प्रदेश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लाससरूम

2374. श्री घनश्याम सिंह लोधीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिले-वार कुल कितनी सरकारी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहायकता प्राप्त प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम और विद्यालय हैं;
(ख) क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के शिक्षण कौशल का उन्नयन करने के लिए उनके लिए कोई प्रशिक्षण तंत्र है;
(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा - को लागू कर रहा है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से कक्षा बारहवीं तक विस्तृत है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है और आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी देकर स्कूलों में आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत, आईसीटी घटक में कक्षा VI से XII तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अनुमोदित आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सरकारी और आईसीटी सहायता प्राप्त प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, स्कूलों की कुल संख्या का जिलेवार विवरण https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/parliament_annexure_en/2374_lsuq.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री के उपयोग पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाहरी एजेंसियों की मदद से बहु-स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षाओं के संचालन के लिए स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी लैब्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को जिलों, ब्लॉकों और स्कूलों के साथ साझा किया गया है।

राज्य शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट आई-स्मार्ट के तहत शिक्षाशास्त्र से संबंधित प्रशिक्षणों के माध्यम से कक्षा शिक्षण को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस परियोजना के तहत, साप्ताहिक आधार पर गणित और विज्ञान विषयों पर शिक्षकों के साथ विषयवार अध्यापन वीडियो साझा किए जाते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक एक विस्तृत शिक्षण योजना बना सकते हैं।

(घ): समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा XII तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसे एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए।

समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यकलाप हैं: (i) प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (iii) बुनियादी ढांचे के विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (iv) वर्दी, पाठ्यपुस्तकें आदि सहित आरटीई अधिकार (v) गुणवत्ता और नवाचार (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता (vii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (viii) जेंडर और समानता (ix) समावेशी शिक्षा (x) शिक्षक शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण को मजबूत करना (xi) व्यावसायिक शिक्षा (xii) आईसीटी और डिजिटल पहल (xiii) खेल और शारीरिक शिक्षा (xiv) निगरानी और कार्यक्रम प्रबंधन और (xv) राष्ट्रीय घटक।

एनईपी 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ) क्रमशः 20 अक्टूबर, 2022 और 23 अगस्त, 2023 को बुनियादी चरण (एफएस) और स्कूल शिक्षा (एसई) के लिए जारी किया गया है।

****

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लासरूम के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री घनश्याम सिंह लोधी द्वारा दिनांक 18/12/2023 को पूछे जाने वाले अतांराकित प्रश्न सं. 2374 के भाग (क) के उत्तर में उल्ललिखित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अनुमोदित आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या (2005-06 से अब तक)	अनुमोदित स्मार्ट क्लासरूम की संख्या (2020-21 से अब तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	143	0
आंध्र प्रदेश	9040	4678
अरुणाचल प्रदेश	540	209
असम	6903	5584
बिहार	7563	4846
चंडीगढ़	107	185
छत्तीसगढ	2341	5857
दादरा और नगर हवेली	72	153
डीएनडी - डीएनएच	59	
दिल्ली	1181	1018
गोवा	463	0
गुजरात	6077	6597
हरियाणा	4277	3274
हिमाचल प्रदेश	3329	2248
जम्म और कश्मीर	3209	1724
झारखंड	5036	982
कर्नाटक	8323	1768
केरल	2409	487
लद्दाख	170	66
लक्षद्वीप	28	0
मध्य प्रदेश	3701	4815
महाराष्ट्र	10135	3501
मणिपुर	786	508
मेघालय	411	14
मिजोरम	724	229
नागालैंड	738	607
ओडिशा	8317	6974
पुदुचेरी	176	145
पंजाब	5682	3821
राजस्थान	9753	12627
सिक्किम	375	270
तमिलनाडु	13351	865
तेलंगाना	5615	3707
त्रिपुरा	1350	854
उत्तर प्रदेश	8467	23216
उत्तराखंड	865	1833
पश्चिम बंगाल	4024	0
कुल	**135740**	**103662**

स्रोतः प्रबंध